प्रिपत्र संख्या 7/2014

एफ संख्या 275/27/2013-आई टी (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली,4 मार्च 2014

आय कर के सभी मुख्य आयुक्त

आयकर के सभी महानिदेषक

विशय:- वित्तीय वर्श 2012-13 तथा 2013-14 की टीडीएस/टी सी एस स्टेटमेंट भरने की पूर्व निर्धारित वास्तविक तिथि के विस्तार के संबंध में।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) को कटौतीकर्ताओं/संग्रहकों की ओर से बहुत से आवेदन मिले हैं कि सरकारी कार्यालय होने के नाते(सरकारी कटौतीकर्ता),मुख्य लेखा अधिकारी (पीएओ), जिला कोशाधिकारी(डीटीओ)/चेक निकालने तथा निस्तारण अधिकारी(सीडीडीओ)द्वारा बुक आइडेन्टीफिकेषन संख्या(बी आई एन) दरी से जारी करने के कारण उन्हें अपनी टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट तैयार करने में दरी हुई है जिसके कारण आयकर की अधिनियम 1961 (एक्ट)की धारा 234 ई के तहत परिणाम के तौर पर लेट फीस चुकानी पड1 रही है;

2.इस मामले की जांच की गई, यदि सरकारी कटौतीकर्ता, यदि टीडीएस/टीसीएस को बिना चालान, टीडीएस/टीडीएस की चौमाही स्टेटमेंट को पीएओज/डीटीओज/सीडीडीओत द्वारा जारी बीआईएन संख्या के बाद जमा करवाया जाए जिसके लिए फाइल फार्म 24 जी (टीडीएस/टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट) की आवष्कता होगी तथा जारी किए गए बीआईएन को प्रत्येक सरकारी कटौतीकर्ता को बताएं जिसके पास काटी गई राषि जमा की गई है; टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट में बीआईएन दर्षाना आवष्यक है। 1-4-2014से सरकारी कटौतीकर्ता के मामले में लागू होगा। तथापि वित्तीय वर्श 2012-13 में पीएओज/ डीटीओज/ सीडीडीओज द्वारा (फार्म 23 जी तथा बीआईएन जारी करने के पूर्व आवेदन)खाताधिकारी पहचान संख्या (एआईएन) का निस्तारण किया जा चुका है। जिसके परिणाम स्वरुप टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट भरने में बडी संख्या में सरकारी कटौतीकर्ताओं से देरी हुई है;

3. अधिनियम की धारा 119 में निहित "ाक्तियों के आधार पर ,बोर्ड ने तय किया है कि टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट भरने की अधिनियम के साथ आयकर नियम 1962 के नियम 206 सी के साथ 31 ए / 31 एए भाग 200/उपभाग (3) के प्रावधान उपभाग(3)के अनुसार पूर्व निर्धारित वास्तविक तिथि के विस्तार कर दिया

गया है। निर्धारित तिथि को अब 31-3-2014 सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए बढाया गया है तथा एक प्रमाणिक एआईएन संख्या के लिए तैयार किया गया है।

(1) वित्तीय वर्ष 2013-13- दूसरे तथा चौथे चौमाही

(2)वित्तीय वर्ष 2013-14- पहले तथा तीसरे चौमाही

4. हालांकि, सरकारी कटौती के द्वारा अधिनियम की धारा 234ई के अंर्तगत किसी भी फीस को चुकाना कभी भी वापस नहीं किया जाएगा।

5. समय पर भरा गया टीडीएस/टीसीएस का ब्यौरा, सरकारी खाते में समय से कर भुगतान को दर्शाने के लिए आवश्यक होता है और आवेदनकर्ता को कर क्रेडिट प्रदान करने में भी सहायक होता है जब वह अपना इनकम टैक्स दाखिल करता है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि ऊपर से विशेष परिस्थियों के नजरिए में एकल समय उम्मीद भी होनी चाहिये। सरकारी कटौती से और ठीक उसी प्रशासन सेटअप से सम्बंधित पीएओ,डीटीओ,सीडीडीओ सहयोगी है जोकि व्यय का स्पष्टीकरण और विनमय करते है, कटौती, कलेक्टर्स, क्रमश: पीएओ,डीटीओ,सीडीडीओ के साथ टीडीएस/टीसीएस बयान के निश्चित समय पर बिना फीलिंग के प्राप्त होने पर सलाह दे सकते है।

6. यह सर्कुलर, अनुपालन के लिए सभी अधिकारियों के नोटिस से लाया जा सकता है।

7. हिंदी संस्करण का पालन होगा।

(संदीप सिंह)

भारत सरकार के तहत सचिव

प्रतियां भेजी गई -

1. लेखानियता और भारत के अॉडिटर जनरल (40 प्रतियां)
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. भारत के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव प्रशासक
4. आवश्यक कार्रवाही के लिए डीजिट प्रणाली (सिस्टम) नई दिल्ली
5. आयकर के डायरेक्टर जनरल, एनएडीटी, नागपुर
6. निदेशक (पीआर,पीपी और ओएल), मयूर भवन, त्रिमासिक कर में प्रकाशन के लिए नई दिल्ली
7. डीआईटी (सिस्टम 2), आयकर के कमीशनर (सीपीसी) टीडीएस, वैशाली
8. आयकर के सभी कमीशनर (टीडीएस)
9. गार्ड फाइल